राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
99/2023	28.03.2023	13.06.2024

उनवान

1. मुरलीधर पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. महावीर पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादीगण।

बनाम

. मनोज कुमार पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रतिवादीगण

दावा– इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

स्थितिः श्री मुकेश कुमार यादव –वकील वादीगण

–: निर्णयः–

दिनांक 13.06.2024

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 622/1.22, 623/1.19, 625/0.71, 626/0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम दर्ज 1/4 भाग को वादपत्र के आगामी सभी पदों मे आराजी मुतनाजा से संबोधित किया जा रहा है शेष हक व हिस्से के विरूद्व कोई रिलिफ नही चाही है। आराजी मुतनाजा के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2055–58 के वादीगण 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार रहे है तथा वादीगण ने अपने 1/3 भाग मे से 1/4 भाग यानि 1/12 भाग प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 13.10.1998 को मौके पर कब्जा देकर प्रतिफल प्राप्तकर बेचान किया तथा मुताबिक बयनामा व कब्जा के इंतकाल संख्या 201 वाके ग्राम तलवाना दर्ज होकर स्वीकार हुआ तथा मुताबिक बयनामा व कब्जा के 1/4 भाग पर वादीगण व 1/12 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/12 भाग को रणधीर पुत्र खेमचन्द को 1/36 भाग व लीलाराम पुत्र खेमचन्द को 1/18 भाग यानि कुल 1/12 भाग का बेचान कर दिया जिससे अब प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा मे कोई हिस्सा शेष नही रहा ना ही कब्जा है दस्तावेजात संलग्न है लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारीगण द्वारा जमाबंदी मे राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज करते समय बिना मौके पर कब्जा कि जांच किए, बिना इंतकाल संख्या 201 का अवलोकन किये, बिना बयनामा का अवलोकन किये, बिना पूछ–ताछ किये इन्द्राज करते समय हम वादीगण का नाम 1/3 भाग से कलमजन कर 1/3 भाग का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को दर्ज कर दिया। इस गलत इन्द्राज की जानकारी एवं ज्ञान होने पर वादीगण ने पटवारी हल्का को इस गलत इन्द्राज को ठीक करने को कहा तो उन्होने बताया कि आदेश लेकर आने पर ही दुरूस्त हो सकता है आदि– आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इस अमर की फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 1/12 भाग का बेचान का रणधीर व लीलाराम को कर दिया जिससे मुताबिक बयनामा 1/12 भाग इनके नाम रिकॉर्ड मे हो गया तथा 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो रह गया है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को उक्त 1/4 भाग का संभाग मे खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे तथा शेष रिकॉर्ड यथावत रखा जावे का निवेदन रहा।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

sidd

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने की स्थिति मे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आ कर जवाब दावा पैरोकार सरकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब सरकार के बिन्दू संख्या 1 सही है, स्वीकार है, बिन्दू संख्या 2 लगायत 6 वादी स्वयं सिद्व करे तथा बिन्दू संख्या 7 लगायत 12 कानूनन होकर श्रीमान न्यायालय को श्रवण योग्य है अंकित करते हुए बिन्दू संख्या 13 के अनुसार विवादित आराजीयात मे वादीगण मुरलीधर, महावीर पुत्रान रामचन्द्र का जमाबंदी संवत 2055 मे 1/3 हिस्सा दर्ज था एवं वादीगण द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 13.10.1998 से जरिये इंतकाल संख्या 201 से 1/4 दर 1/3 अर्थात अपने 1/3 हिस्से को 1/4 यानि 1/12 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार को किया गया है इस प्रकार शेष हिस्सा 1/4 वादीगण का शेष रहना चाहिए था परन्तु जमाबंदी संवत 2059 तहरीर करते समय संवहन से 1/4 दर 1/3 यानि 1/12 के बजाय संपूर्ण 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम दर्ज हो गया इसके पश्चात इंतकाल संख्या 1817 से प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार ने अपनी खरीदशुदा हिस्सा 1/12 का बेचान रणधीर पुत्र खेमचन्द को 1/36 हिस्सा, लीलाराम पुत्र खेमचन्द को 1/18 हिस्सा कर दिया व शेष 1/4 हिस्सा बदस्तूर दर्ज रहा जो मूल रूप से वादीगण का हिस्सा होना चाहिए अंकित करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने योग्य है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2075—78 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2059—62 प्रदर्श—2, नकल इंतकाल संख्या 201 प्रदर्श— 3, नकल जमाबंदी संवत 2055—58 प्रदर्श— 4, नकल इंतकाल संख्या 817 एवं प्रतिवादी मनोज को किया गया बयनामा दिनांक 13.10.1998 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र विकमसिंह पी.डब्ल्यू. 1, महावीरप्रसाद पी.डब्ल्यू . 2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात मे वादीगण मुताबिक जमाबंदी संवत 2055—58 के 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड थे जिसमे से वादीगण ने अपने 1/3 भाग मे से 1/4 भाग यानि 1/12 भाग को प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 13.10.1998 के प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा देकर बेचान किया था और उक्त मुताबिक बयनामा व कब्जा के आधार पर इंतकाल संख्या 201 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ परन्तु राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी मे अमल करते समय बिना मौके की जांच किये एवं बिना इंतकाल संख्या 201 का अवलोकन किये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/12 भाग के स्थान पर वादीगण का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने 1/12 भाग का बेचान रणधीर व लीलाराम को जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा कर दिया जिसके मुताबिक जरिये इंतकाल संख्या 817 के उक्त केता रणधीर व लीलाराम के नाम दर्ज हो कर स्वीकार हो गया तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रह गया जो वादीगण का शेष हिस्सा रहा है। जिस हेतु वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2075—78 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2059—62 प्रदर्श—2, नकल इंतकाल संख्या 201 प्रदर्श— 3, नकल जमाबंदी संवत 2055—58 प्रदर्श— 4, नकल इंतकाल संख्या 817 एवं प्रतिवादी मनोज को किया गया बयनामा दिनांक 13.10.1998 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र विकमसिंह पी.डब्ल्यू. 1, महावीरप्रसाद पी.डब्ल्यू . 2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है इस प्रकार से वादीगण ने अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किये जाने उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 622/1.22, 623/1.19, 625/0.71, 626/0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम से हो रहे 1/4 भाग के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मनोज कुमार के स्थान पर वादीगण को संभाग मे 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे तथा विवादित आराजीयत के शेष हक व हिस्से पूर्वानुसार बदस्तूर रहेगें तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

13.06.2024

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री जारी दिनांक
99 / 2023	28.03.2023	13.06.2024

उनवान

मुरलीधर पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

महावीर पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादीगण।

बनाम

मनोज कुमार पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी तलवाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रतिवादीगण

दावा– इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

पर्चा डिक्री

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.06.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है कि:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 622/1.22, 623/1.19, 625/0.71, 626/0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 मनोज कुमार के नाम से हो रहे 1/4 भाग के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मनोज कुमार के स्थान पर वादीगण को संभाग मे 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे तथा विवादित आराजीयत के शेष हक व हिस्से पूर्वानुसार बदस्तूर रहेगें।

उभयपक्षकारान खर्चा अपना– अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13.06.2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)